PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांक: /मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 दिनांक:24.07.2019

विषय :–समस्त सरकारी कॉलोनियों में कूड़े का स्त्रोत पर पृथक्कीकरण एवं जैविक कूड़े से विकेन्द्रित कम्पोस्टिंग का निर्माण सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल।

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड शासन के पत्रांक 1215/ I(2)/2019–05(सी0एस0)–01/2012 दिनांक 02.07.2019 एवं उसके साथ संलग्न पत्र संख्या 164/श0वि0/नि0स0/2019 दिनांक 12.06.2019 की छायाप्रति आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि पत्र में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुये अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सलग्नकः–यथोपरि।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

पत्रांक: 1053/मा0सं0एवंप्र0अनु0/पिटकुल/जी–4 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (मा0सं0)/(वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना), पिटकुल, देहरादून।
3. उपमहाप्रबन्धक (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस आशय के साथ कि कृपया उक्त पत्र को संलग्नको सहित पिटकुल की वैबसाइट में अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

(ए0के0 जुयाल)
उपमहाप्रबन्धक (मा0सं0)

संख्या– /2/8/ I(2)/2019–05(सी0एस0)–01/2012

No. 1827 /MD/PTCUL/...G1...Dt. 9.7.19
Dir(HR)

प्रेषक,

लक्ष्मण सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उपाकालि/पिटकुल,
देहरादून।

ऊर्जा अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 02 जुलाई, 2019

विषयः– समस्त सरकारी कॉलोनियों में कूडे का स्त्रोत पर पृथक्कीकरण एवं जैविक कूडे से विकेन्द्रित कम्पोस्टिंग का निर्माण सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0–164/श0वि0/नि0स0/2019 दिनांक 12.06.2019 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा समस्त सरकारी कॉलोनियों में कूडे का स्त्रोत पर पृथक्कीकरण एवं जैविक कूडे से विकेन्द्रित कम्पोस्टिंग का निर्माण सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये गये है।

2. उक्त सन्दर्भित पत्र के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– / I(2)/2019, 05(सी0एस0)–01/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को पत्र सं0–164/श0वि0/नि0स0/2019 दिनांक 12.06.2019 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

HR/Admin./PTCUL/D.Dun
Diary No. 1172
File.........
Date 12/7/19

कार्यालय में पत्र प्राप्ति की तिथि 9.7.19
प्राप्तकर्ता
कार्यालय प्रबन्ध निदेशक
पिटकुल, देहरादून

DGM (HQPu)

Director (HR) Office
No. 1415
Date 9.7.19
PTCUL, Dehradun

संख्या– 164 /श0वि0/नि0स0/2019

2825/sec-E/19

AS(1+2) Energy

...षक,

मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(... चन्द्र जोशी)
प्रमुख निजी सचिव,
सचिव मा. मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा
उत्तराखण्ड शासन

दिनांक:– 12 जून 2019

विषय :– समस्त सरकारी कॉलोनियों मे कूडे का स्त्रोत पर पृथक्कीकरण एवं जैविक कूडे से विकेन्द्रित कम्पोस्टिंग का निर्माण सुनिश्चित कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावलीं, 2016 के अंतर्गत कूडे को गीला कूडा (जैविक कूडा) एवं सूखा कूडा (अजैविक कूडा) के रूप मे स्त्रोत पर पृथक्कीकरण किया जाना अनिवार्य हैं। उक्त के अतिरिक्त 5000 वर्ग मी0 क्षेत्र मे अवस्थित समस्त आवासीय कॉलोनियों, वाणिज्यिक संस्थानों, होटल व रेस्ट्रा आदि के लिये अनिवार्य है कि कम्पोस्टिंग के माध्यम से जैविक कूडे का प्रस्संकरण, उपचार एव निस्तारण यथासंभव अपने परिसर मे ही सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि प्रतिदिवस उत्पादित घरेलू कूडे मे जैविक कूडे की मात्रा लगभग 50% होती है।

2. वर्तमान में भारत सरकार द्वारा गीले कूडे (जैविक कूडे) के विकेन्द्रित प्रस्संकरण पर बल दिया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बंध मे Advisory on On-Site and Decentralized Composting of Municipal Organic Waste भी जारी की गई है, जिसमें विकेन्द्रित कम्पोस्टिंग की विभिन्न अल्प लागत युक्त तकनीके सुझायी गई है। उक्त एडवाईजरी की सॉफ्ट प्रति ई–मेल के माध्यम से सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध कराई जा रही है। उल्लेखनीय है कि कतिपय राज्यों द्वारा इस दिशा मे अनुकरणीय व सफल उदाहरण भी प्रस्तुत किये जा चुके है।

3. उत्तराखण्ड राज्य का 86% भूभाग पर्वतीय जबकि 66% भूभाग वनाच्छादित है। भूमि की सीमितता के दृष्टिगत जैविक कूडे के विकेन्द्रित प्रस्संकरण की प्रासंगिकता उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य मे और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। जैविक कूडे के विकेन्द्रित प्रंस्सकरण के फलस्वरूप जहाँ भूमि की आवश्यकता मे वृहत कमीं आ सकेगी वहीं दूसरी ओर कूडा संग्रहण एवं परिवहन लागत मे भी अपेक्षित कमी संभव हो सकेगी।

4. कूडे का स्त्रोत पर पृथक्कीकरण एवं गीले कूडे (जैविक कूडे) का विकेन्द्रित प्रस्संकरण राज्य मे अवस्थित समस्त सरकारी कालोनियों मे अभिनव प्रयोग के रूप मे आरम्भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः अनुरोध है कि अपने विभागान्तर्गत आच्छादित समस्त सरकारी कॉलोनियो मे जैविक कूडे के विकेन्द्रित प्रस्संकरण को तत्काल प्रभाव से लागू कराया जाना सुनिश्चित करें।

5. सचिव, शहरी विकास विभाग उक्त कार्य हेतु नोडल अधिकारी होंगे। समस्त विभागों से अपेक्षा है कि कृत प्रगति की सूचना मासिक आधार पर नोडल अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

J.S. (En.)

US(T)
19/6/19

अपर सचिव
वित्त एवं ऊर्जा
उत्तराखण्ड शासन

SO-2
20.6.19

21.6.2019

2157/AS-(E)
21-6-19

संख्या एवं दिनाँक तदैव।

प्रतिलिपि:–

1. मण्डलायुक्त, कूमाऊँ एवं गढवाल को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि मण्डल अंतर्गत उक्त महत्वपूर्ण पहल के कियान्वयन का नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करे।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि जनपद अंतर्गत उक्त महत्वपूर्ण पहल का सुचारू कियान्वयन एवं अनुश्रवण करना सुनिश्चित करे।
3. गार्ड फाईल।

(उत्पल कुमार सिंह)
मुख्य सचिव